

02/11/2022

आवेदक द्वारा श्री तरुण चौहान विद्वान अधिवक्ता
उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री अतुल दास विशेष लोक अभियोजक
उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द0प्र0स0 पर बल नहीं देना
चाहते हैं। अतः उक्त जमानत आवेदन पत्र बल नहीं देने से
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में
जमा हों।

सही/—
(आलोक कुमार)
सत्र न्यायाधीश
बस्तर स्थान—जगदलपुर